न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS .

राजस्व मूल वाद संख्याः– 98/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.चुकाराम पुत्र श्री चिमनाराम उर्फ लाबूराम जाति कुम्हार निवासी बिचलापुरा झालामण्ड जिला जोधपुर।		01.अमराराम पुत्र श्री चिमनाराम उर्फ लाबूराम जाति कुम्हार निवासी बिचलापुरा झालामण्ड जिला जोधपुर। 02.मैसर्स ऐमी एशोसियेट ,खसरा नम्बर 191 दुर्जनिया बास सिरसी रोड जयपुर संस्था 03.मोरी जागिड पत्नी जोगाराम जाति सुथार निवासी 154 बी आनन्द नगर सिरसी रोड जयपुर। 04.सोमी पुत्री श्री चिमनाराम उर्फ लाबूराम जाति कुम्हार निवासी बिचलापुरा झालामण्ड जिला जोधपुर। 05.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

वाद अन्तर्गत धारा ,53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

01.वादी की और से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिह चौधरी उपस्थित

02.प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता ईश्वरसिह चम्पावत उपस्थित

आदेश दिनाक 19/03/2024

वादी का वाद अन्तर्गत धारा .53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 05.02.2024 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाड प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 26.02.2024 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 117/78 रकबा 1.6511 हैक्टर ग्राम बासनी बाधेला तहसील लूणी वादी एव प्रतिवादीगण का नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 26.02.2024 मय मौका फर्द दिनाक 23.02.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है इसके अनुसार। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसारः

ए 01. अमराराम चिमनाराम उर्फ लाबूराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा देह खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
117/78	0.1756	बारानी द्वितीय	0.31

02.चुकाराम पुत्र चिमनाराम उर्फ लाबूराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा देह खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
117/78	0.8175	बारानी द्वितीय	1.47

03.मैसर्स ANY ASSOCATES हिस्सा पूर्ण खसरा नम्बर 191 दुर्ज नियावास सिरसी रोड जयपुर सस्था के लिए रहन एचडीएफसी बैक शाखा जयपुर अशोक मार्ग

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
117/78	0.3262	बारानी द्वितीय	0.58

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

04.मोरी जागिड पत्नि जोगाराम हिस्सा पूर्ण जाति जागिड सा 154 बी आनन्द नगर सिरसी रोड जयपुर।

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
117/78	0.3157	बारानी द्वितीय	0.37

05.सोमी पुत्री चिमनाराम उर्फ लाबूराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा देह खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
117/78	0.0161	बारानी द्वितीय	0.03

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 23.02.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 23.02.2024 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 98 / 2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.चुकाराम पुत्र श्री चिमनाराम उर्फ लाबूराम जाति कुम्हार निवासी बिचलापुरा झालामण्ड जिला जोधपुर।		01.अमराराम पुत्र श्री चिमनाराम उर्फ लाबूराम जाति कुम्हार निवासी बिचलापुरा झालामण्ड जिला जोधपुर। 02.मैसर्स ऐमी एशोसियेट ,खसरा नम्बर 191 दुर्जनिया बास सिरसी रोड जयपुर संस्था 03.मोरी जागिड पत्नी जोगाराम जाति सुथार निवासी 154 बी आनन्द नगर सिरसी रोड जयपुर। 04.सोमी पुत्री श्री चिमनाराम उर्फ लाबूराम जाति कुम्हार निवासी बिचलापुरा झालामण्ड जिला जोधपुर। 05.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 98 / 2023 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतःआदेश है कि वादी का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनाक 23.02.2024 अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है।

नीज.......................................मुबलिक..............................बाबत..................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.......................................फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.................................. ....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 19/3/2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्धाई	रूपया	पै.	मुद्धायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्आम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी